

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास निगम लिमिटेड



यूपीएसआईडीसी कांपलेक्स
A-1/4ए लखनपुर
कानपुर - 208024
दूरभाष : 0512- 582851-53
फैक्स : 0512-2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
CIN-U26961SGC002834

संदर्भ संख्या

/एसआईडीसी/एटीपी दिनांक

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों द्वारा औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजना में विकसित भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्ताव सीधे एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को अपूर्ण प्रपत्रों के साथ बिना किसी स्पष्ट संस्तुति के प्रेषित किये जा रहे हैं, जिससे उनके निरस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से उनके द्वारा भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित औद्योगिक अनुभाग, मुख्यालय के माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर विवरण एवं सम्बन्धित प्रपत्रों सहित एटीपी अनुभाग, मुख्यालय प्रेषित किये जायेंगे:-

- क) प्रथम आवंटन से पूर्व औद्योगिक भूखण्डों के आकार परिवर्तन करते हुये विकास योजना में मुख्य कार्यपालक अधिकारी-यूपीसीडी द्वारा संशोधन के प्रस्ताव:
- 1 भूखण्डों/भूखण्ड की तलपट मानचित्र/विकास योजना में अवस्थिति, निर्धारित भू-उपयोग का विवरण तथा तलपट मानचित्र के अनुसार राक्षस अधिकारी द्वारा जारी साइट प्लान।
 - 2 भूखण्डों/भूखण्ड के आवंटन हेतु गठित आंकलन समिति की संस्तुति तथा आवंटन प्रस्ताव का प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदन।
 - 3 भूखण्डों/भूखण्ड पर निर्माण की अद्यतन स्थिति।
 - 4 भूखण्डों/भूखण्ड के निकटवर्ती भूखण्डों पर निर्माण एवं सटवेंक की स्थिति।
 - 5 भूखण्डों/भूखण्ड में उद्योगी द्वारा प्रस्तावित कियाओं का निकटवर्ती भूखण्डों पर प्रकाश, संवातन, प्राइवैसी एवं प्रदूषण सम्बन्धी दुष्प्रभाव तथा निकटवर्ती भूखण्डों में स्थित उद्योगों से प्रस्तावित भूखण्डों पर दुष्प्रभाव सम्बन्धी आख्या।
 - 6 भूखण्डों/भूखण्ड का संविलियन/उप विभाजन प्रस्ताव यूपीसीडी के भूमि विकास विनियमन, 2004 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होने, विकास कार्य सम्मिलित न होने एवं आच्छादित भूमि के निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति।
 - 7 अन्य विवरण।

AK
श्री 213 मंगल
दिनांक 22/7/18
4/1/18

2088
30/7/18

ख)

- औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजना में आवंटित भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्ताव:
- 1 आवंटि का अनुरोध पत्र एवं यूपीसीडी के मानकों के अनुरूप प्रस्तावित संविलियन/उप विभाजन मानचित्र।
 - 2 आवंटित भूखण्डों का आवंटन/हरसांतरण पत्र।
 - 3 प्रस्तावित भूखण्ड की तलपट मानचित्र/विकास योजना में अवस्थिति, निर्धारित भू-उपयोग का विवरण तथा तलपट मानचित्र के अनुसार राक्षस अधिकारी द्वारा जारी साइट प्लान।
 - 4 आवंटित भूखण्डों का पट्टाविलेख एवं कब्जा प्रमाणपत्र।
 - 5 संविलियन/उप विभाजन शुल्क की यूपीसीडी के भूमि विकास विनियमन, 2004 के मानकों के अनुसार गणना का विवरण एवं प्राप्ति रसीद।

- 6 कार्यालय आदेश सं० 491-516/एसआईडीसी/यूपीसीडा दिनांक 09.3.2018 के संविलियन शुल्क की देयता में छूट प्रभावी होने सम्बन्धी मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र।
- 7 आवंटित भूखण्डों पर निर्माण की अद्यतन स्थिति तथा निकटवर्ती भूखण्डों के आवंटन/निर्माण की अद्यतन स्थिति।
- 8 आवंटित भूखण्डों पर वर्तमान में निर्माण होने की दशा में स्वीकृत भवन मानचित्र। यदि शमन अपेक्षित हो तो शमन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त जारी स्वीकृत मानचित्र।
- 9 संविलियत भूखण्ड में उद्योगी द्वारा प्रस्तावित क्रियाओं का निकटवर्ती भूखण्डों पर प्रकाश, संवातन एवं प्राइवैसी पर दुष्प्रभाव तथा निकटवर्ती भूखण्डों में स्थित उद्योगों से प्रस्तावित भूखण्ड पर दुष्प्रभाव।
- 10 प्रस्ताव के यूपीसीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होने, भू-उपयोग परिवर्तन न होने तथा विकास कार्य यदि प्रस्तावित हो तो उनके विवरण सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति एवं आख्या।
- 11 यूपीसीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 के अनुसार भूखण्डों का संविलियन/उप विभाजन एक समर्थक प्रावधान (Enabling Provision) है। अतः प्रस्ताव को कार्यहित में आवश्यक होने तथा क्षेत्र की विकास योजना की मूल संरचना प्रभावित न होने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या।
- 12 आवंटित भूखण्डों पर लीज प्रीमियम/प्रभाव शुल्क/आवंटन सम्बन्धी समस्त शुल्क/समय विस्तारण शुल्क तथा निगम के अन्य समस्त देयों के पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र।

उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी द्वारा संविलियन/उप विभाजन भूखण्डों के प्रस्ताव समस्त आवश्यक प्रपत्र, सम्बन्धित मूल पत्रावली सहित औ०क्षे० अनुभाग, मुख्यालय प्रेषित किये जायेंगे। समस्त प्रस्ताव सम्बन्धित पत्रावलियों पर औ०क्षे० अनुभाग, मुख्यालय द्वारा उचित पाये जाने की दशा में संस्तुति सहित एटीपी अनुभाग, मुख्यालय अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित किये जायेंगे।

(पी०के० पाण्डेय)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

संदर्भ संख्या 321 /एसआईडीसी/एटीपी/कार्यालय आदेश दिनांक 27.7.2018

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक महोदय /मुख्य कार्यपालक अधिकारी-यूपीसीडा, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- 2 मुख्य प्रबन्धक(औ०क्षे०)/प्रभारी-मुख्य प्रबन्धक(औ०क्षे०), उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- 3 प्रभारी-यूपीसीडा, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- 4 प्रभारी-एटीपी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
- 5 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०.....
- 6 समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,.....

(पी०के० पाण्डेय)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक